

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 626 / 2013 / जयपुर.

2. अपील संख्या – 627 / 2013 / जयपुर

3. अपील संख्या – 628 / 2013 / जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी

प्रतिकरापवंचन जोन-द्वितीय, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स हैस्डोकेन हॉस्पिटैलिटी सोल्यूशंस प्रा.लि.

जयपुर

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

श्री अमर सिंह, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वैभव कासलीवाल,

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री विक्रम गोगरा,

अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 17.02.2014

निर्णय

ये तीनों अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन जोन-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत क्रमशः अपील संख्या 21 / अपील्स- 1 / आरवीएसटी / जे / जयपुर / 2012-13, 22 / अपील्स- 1 / आरवीएसटी / जे / जयपुर / 2011-12, एवं 23 / अपील्स- 1 / आरवीएसटी / जे / जयपुर / 2011-12 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 06.09.2012 के प्रस्तुत की गयी हैं। उपरोक्त तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।


प्रकरणों के संक्षिप्त इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा एसकोर्ट हार्ट एण्ड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर (**fortis Escorts Hospital**) में फूड एण्ड ब्रेवरीज सर्विसेज एग्रीमेन्ट के तहत अस्पताल के स्टाफ, डाक्टर्स, मरीज व अटेन्डेन्ट को सभी प्रकार की खाद्य सामग्र, जिसमें ब्रेक फास्ट, लंच, डिनर, स्नेक्स, चाय व काफी इत्यादि शामिल है, की सप्लाई व सर्विस की गई है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने पर एग्रीमेन्ट के अन्तर्गत अस्पताल को मासिक बिल जारी किये गये, जिनमें 50 प्रतिशत मूल्य राशि पर वैट व शेष 50 प्रतिशत मूल्य राशि पर सर्विस टैक्स वसूल किया गया है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा **fortis Escorts**

Hospital की मुख्य लॉबी में स्थित केफैटरिया जिसमें अन्य आगन्तुक के लिए उपलब्ध कराई गई उक्त खाद्य सामग्री की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु विभाग से नया पंजीयन संख्या 08714102680 प्राप्त कर अलग से विवरणियाँ व कर अदायगी की गई है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त पंजीयन के अन्तर्गत दशाई गई पण्यावर्त को मूल पंजीयन प्रमाण पत्र में समाहित कर प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध करारोपण किया गया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी को उपलब्ध आगत कर व अग्रिम जमा राशि का समयोजन नहीं दिया जाकर दोनों पंजीयन प्रमाण पत्रों के तहत दशाई गये पण्यावर्त को समाहित करते हुए कर निर्धारण आदेश पारित कर निम्न तालिका के अनुसार कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्तियाँ आरोपित की गई :-

अपील सं.	कर.नि.वर्ष	क.नि.आदेश दि.	कर	ब्याज	शास्ति
626 / 13	2010-11	5.3.12	1952868	331988	3905736
627 / 13	2011-12	5.3.12	282225	25400	564450
628 / 13	2009-10	5.3.12	329838	79161	659676

प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त तालिका के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं शास्तियों को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने आगत कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलें कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन संयुक्त आदेश दिनांक 06.09.2012 के विरुद्ध ये तीनों अपीलें कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई हैं।

कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पूर्व में लिया गया पंजीयन आउटडोर केटरर्स की श्रेणी में मानते हुए एवं बाद में लिया गया पंजीयन दिनांक 9.3.2010 को हॉस्पिटल के साथ किये गये एग्रीमेन्ट के विरुद्ध रेस्टोरेन्ट सुविधा आमजन को उपलब्ध कराये जाने के कारण उक्त केफैटरिया में बिक्रीत राशि पर अन्तर कर 9 प्रतिशत से आरोपित किये जाने को विधिक बताया है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों के अनदेखी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर कर एवं ब्याज के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो अनुचित है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने वसूल किये गये कर को राजकोष में जमा नहीं करवाकर स्व:लाभ की प्रेरणा से स्वयं के पास रखा है, जिससे स्पष्ट है कि बिक्री विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा कर योग्य विक्रय को छुपाया गया है एवं सर्वेक्षण की



कार्यवाही होने पर "पश्चातवर्ती सोच" से प्रावधानों के विरुद्ध राज्य में पंजीकृत होने के उपरान्त भी पृथक से प्रजीयन प्राप्त कर अभियोग की कार्यवाही से बचने का असफल प्रयास किया गया है। उनका कथन है कि उपरोक्त तथ्यों से प्रत्यर्थी व्यवहारी का दोषी मनोभाव सन्देह से परे प्रमाणित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका के अनुसार शास्तियाँ आरोपित की गईं, जिनको अपीलीय अधिकारी ने अविधिक रूप से अपास्त किया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के दोनों पंजीकृत फर्मों के पंजीयन के तहत दर्शाये गये पण्यवर्त राशि को समाहित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उनका कथन है कि पत्र दिनांक 09.04.2012 द्वारा मूल पंजीयन प्रामाण्य पत्र निरस्त करने हेतु लौटा दिया गया था, जिसे निरस्त किये बिना ही समाहित करने की कार्यवाही करना नियमों के विरुद्ध है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पूर्व में लिये गये पंजीयन को आउटडोर कंटेनर्स की श्रेणी में मानते हुए लिया गया था व बाद में लिया गया पंजीयन दिनांक 09.03.2010 को जारी अधिसूचना 10/87 के तहत कैफेटेरिया के लिया जाकर हॉस्पिटल में आने वाले आजमन के लिये रेस्टोरेन्ट सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लिया गया था, जो हॉस्पिटल एग्रीमेन्ट के अनुसार था। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पारित कर निर्धारण आदेशों में उक्त कैफेटेरिया में बिक्रीत राशि पर अन्तर कर 9 प्रतिशत से आरोपित किया है, जो विधिक सम्मत नहीं है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल पंजीयन के तहत जारी बिलों में दर्शाये गये पण्यवर्त राशि में 50 प्रतिशत राशि पर वसूल किये गये सर्विस टैक्स को भी विवादित आदेश में बिक्री मूल्य राशि का भाग मानते हुए इस पर अन्तर कर 9 प्रतिशत की दर से आरोपित किया है, जो अविधिक है।

उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नया पंजीयन जो कैफेटेरिया के लिए लिया गया था, के अन्तर्गत वसूल की गई वैट राशि पर पुनः अन्तर कर का करारोपण किया गया है, वह अविधिक है, क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपनी लेखा पुस्तकों में विक्रय मूल्य व उस पर वसूल की गई वैट राशि पृथक-पृथक तौर पर दर्शायी गई है। उनका यह भी कथन है कि आलोच्य वर्ष 2009-10 व 2010-11 में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिक विक्रय मूल्य की राशि पर करारोपण किया गया है, अतः अन्तर कर को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। उनका कथन है कि दोनों पंजीयन के तहत खाद्य सामग्री के निर्माण हेतु क्रय किये गये कच्चे माल का पूर्ण इन्द्राज नियमित लेखा पुस्तकों में होने पर व पंजीकृत व्यवहारियों से क्रय किये

जाने पर अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत आगत कर का लाभ लेने हेतु हकदार होने पर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को इस लाभ से वंचित कर अविधिक तरीके से मांग राशि कायम की है, जो पूर्णतया अपास्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक ने अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति के सम्बन्ध में कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दर्शाये गये समस्त पण्यवर्त जिस पर अन्तर कर आरोपित किया गया है, का इन्द्राज अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज किया है, जिससे करापवंचन नहीं किया गया है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत तीनों अपीलों अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2009-10 के पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 05.03.2012 के द्वारा कर ब्याज एवं शास्तियाँ आरोपित की गईं, जिनके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलों प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपीलाधीन संयुक्त आदेश दिनांक 06.09.2012 पारित करते हुए कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अपीलों स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है।

उपलब्ध रिकार्ड से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के संयुक्त आदेश दिनांक 08.09.2012 की पालना में आलोच्य वर्ष 2010-11 से (अपील संख्या 21/2012) कर बोर्ड की अपील संख्या 627/2013 से सम्बन्धित वाद में पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2013 पारित कर दिया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59] एवं राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1290/2008/अलवर सहायक आयुक्त, वृत्त बी, भिवाडी बनाम मैसर्स ओरियन्ट सिन्टैक्स लिमिटेड, भिवाडी में पारित निर्णयों में भी ऐसा ही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। परिणामतः राजस्व की ओर से अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई प्रश्नगत अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से एतद्वारा खारिज की जाती है।

इसी प्रकार आलोच्य वर्ष 2009-10 से (अपील संख्या 23/2012) कर बोर्ड की अपील संख्या 628/2013 एवं वर्ष 2011-12 से (अपील संख्या 22/2012) कर बोर्ड की अपील संख्या 626/2013 से सम्बन्धित वाद अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये, जो कर निर्धारण अधिकारी के स्तर पर लम्बित बताये


गये है। अपीलीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचन के पश्चात उक्त वाद को प्रतिप्रेषित किये गये, जो उचित है।

प्रकरणों में विवादित बिन्दु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चाहे गये आई टी सी व जमा राशि के समयोजन नहीं दिये जाने एवं अपील संख्या 21 व 23/12-13 में विवादित बिन्दु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बाद में लिये गये पंजीयन के तहत की गयी बिक्री पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वसूली गयी वैट राशि को करापवंचित बिक्री मानकर उस पर पुनः अतिरिक्त करारोपण से सम्बन्धित है। उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि पंजीयन के तहत राजकोष में जमा करवायी गयी अग्रिम कर राशि का समयोजन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना उचित कारण के प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त बिन्दु पर अपीले स्वीकार करते हुए अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत विहित प्रावधानों के तहत आगम कर का लाभ प्रदान करते हुए तथा बाद में लिये गये पंजीयन के तहत राजकोष में जमा करवायी गयी राशि का नियमानुसार समयोजन देते हुए पुनः निर्धारण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित है। अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

ब्याज के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी ने विस्तृत विवेचन के पश्चात प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, जो उचित है।

अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति का बिन्दु पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों का जमा खर्च अपनी लेखा पुस्तकों में किया है तथा समस्त संव्यवहारों को घोषणा पत्रों में घोषित किया है, जिसको मध्य नजर रखते हुए अपीलीय अधिकारी ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री कृष्णा इलेक्टिकल्स बनाम स्टेट आफ तमिलनाडु एवं अन्य (2009) 23 वी एस टी 249 में प्रतिपादित मत, जो निम्न प्रकार है, के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्तियों को अपास्त किया है, जो पूर्णतः उचित एवं विधिक है :-


"However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."




-6- अपील संख्या -626, 627 व 628/2013/जयपुर

अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में हस्तगत प्रकरण में वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं है।

प्रकरणों के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपील संख्या 627/2013 सारहीन होनेसे खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 626 व 628/2013 के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित संयुक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2012 को यथावत रखते हुए विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलों अस्वीकार की जाती है ।


(अमर सिंह)

सदस्य


(सुनील शर्मा)

सदस्य